न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 49/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड। प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. प्रकाश चन्द पुत्र राम प्रताप शर्मा (ऋणी एवं रहनकर्त्ता)
   निवासी 291/2, गनेड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज.–332029।

   यहां भी
   प्रकाश चन्द पुत्र राम प्रताप शर्मा
   निवासी एट गनेड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज.– 332029।

2. निर्मला देवी पत्नी प्रकाश चन्द शर्मा (सहऋणी)
   निवासी 291/2, गनेड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज.–332029।

3. नवीन कुमार पुत्र प्रकाश चन्द शर्मा (सहऋणी)
   निवासी वार्ड नम्बर 08ए मैन मार्केट, छीपों का मौहल्ला, गनेरी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर– 332029 राज.।

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

निर्णय दिनांकः 19 सितम्बर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **प्रकाश चन्द, निर्मला देवी, नवीन कुमार** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **अचल सम्पत्ति ग्राम गनेड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज. जिसकी नाप 151.37 वर्गगज है। मालिकाना हक प्रकाश चन्द का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं– पूर्व में –धन्नराज शर्मा, पश्चिम में –रास्ता, उत्तर में –हाउस देवराज शर्मा, दक्षिण में – बाड़ा धनसुख शर्मा** को बंधक रखकर **10,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये दस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **08.03.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.** की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **08.03.2019** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **प्रकाश चन्द, निर्मला देवी, नवीन कुमार** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **अचल सम्पत्ति ग्राम गनेड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज. जिसकी नाप 151.37 वर्गगज है। मालिकाना हक प्रकाश चन्द का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं– पूर्व में –धन्नराज शर्मा, पश्चिम में –रास्ता, उत्तर में –हाउस देवराज शर्मा, दक्षिण में – बाड़ा धनसुख शर्मा** का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद (जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर) प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान जो नियमों में देय है, सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 19 **सितम्बर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner